



2026:AHC:38714

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3534 / 2026

काले राम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 14 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राघव नायर

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को आज ही के दिन के दौरान प्रतिवादियों की सूची में अपर आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ को प्रतिवादी संख्या 16 के रूप में पक्षकार बनाने को अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवीन सिन्हा, जिनकी सहायता श्री राघव नायर, अधिवक्ता द्वारा की गई, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 16 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना गया।
3. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
4. याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे मुकदमा संख्या 6194 / 2022, कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या T202211280306194 के रूप में अंकित किया गया था। इसे प्रतिवादी संख्या 3, उप जिलाधिकारी, लोनी, गाज़ियाबाद द्वारा दिनांक 24.01.2025 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत आवेदन करने के स्थान पर याचिकाकर्ता को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष वाद दायर करना चाहिए।
5. उपरोक्त के विरुद्ध व्यथित होकर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत वैधानिक पुनरीक्षण दायर की गई थी, जिसे मुकदमा संख्या 840 / 2025, कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या C202511000000840 के रूप में अंकित किया गया था। उक्त पुनरीक्षण को प्रतिवादी संख्या 2, अपर आयुक्त (प्रशासन-II), मेरठ मंडल, मेरठ द्वारा दिनांक 04.11.2025 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त के विरुद्ध व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है।
7. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि आक्षेपित आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
9. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा पारित दोनों आदेश, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 - उप जिलाधिकारी, लोनी, जनपद गाज़ियाबाद का आदेश दिनांक 24.01.2025 और साथ ही नए जोड़े गए प्रतिवादी अर्थात् प्रतिवादी संख्या 16 - अपर आयुक्त (प्रशासन-II), मेरठ मंडल, मेरठ का आदेश दिनांक 04.11.2025, सकारण आदेश नहीं हैं और बिना कोई कारण बताए पारित किए गए हैं।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाम मेसर्स इंदौर कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड' **C.A. No.7240/2018** के मामले में निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"14. वास्तव में, अपील में शामिल तथ्यात्मक और कानूनी विवाद पर किसी भी न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग के अभाव में और मुद्दों पर बिना किसी चर्चा, प्रशंसा, तर्क और स्पष्ट निष्कर्ष के और क्यों रिट याचिका में आक्षेपित निष्कर्षों को बरकरार रखा जाना चाहिए या उलटा जाना चाहिए, मामले पर लागू कानूनी सिद्धांतों के आलोक में पक्षकारों के तर्कों पर विचार करते समय, इस न्यायालय के लिए खंडपीठ के ऐसे आदेश को बनाए रखना कठिन है। खंडपीठ द्वारा रिट याचिका के निस्तारण में इस्तेमाल किया गया एकमात्र शब्द "उचित विचार करने पर" है। हमारे लिए यह स्पष्ट नहीं है कि वह क्या उचित विचार था जिसने खंडपीठ को रिट याचिका निस्तारित करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि हम पाते हैं कि पहले के पैराग्राफों में केवल तथ्य दिए गए हैं।

15. बार-बार, इस न्यायालय ने न्यायालयों पर हर मामले में सकारण आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें वाद के पक्षकारों के मामले के नग्न तथ्यों का वर्णन, मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे, पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलें, शामिल मुद्दों पर लागू कानूनी सिद्धांत और मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निष्कर्षों के समर्थन में कारण और इसके निष्कर्ष के समर्थन में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क शामिल होने चाहिए। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि खंडपीठ रिट याचिका का निस्तारण करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में विफल रही। हमारे विचार में, ऐसे आदेश ने निस्संदेह पक्षकारों को नुकसान पहुँचाया है क्योंकि इसने उन्हें उन कारणों को जानने से वंचित कर दिया कि क्यों एक पक्ष जीत गया और दूसरा हार गया। हम कभी भी उस तरीके का समर्थन नहीं कर सकते जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया था जिसने हमें रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर नए

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजने के लिए मजबूर किया है।”

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने बृजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार (2022) 4 एससीसी 497 के मामले में निम्नानुसार निर्धारित किया है:

“32. न्यायालय द्वारा, या उस मामले के लिए, यहाँ तक कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के लिए कारण बताने के कर्तव्य के पहलू पर, इस न्यायालय के क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान [क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान (2010) 9 एससीसी 496 (2010) 3 एससीसी (सीआईवी) 852], के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जिसमें कई फैसलों का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने पैरा 47 में इस बिंदु पर कानून का सांग्रह दिया है। इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों को निम्नानुसार निकाला गया है:

32.1. कारणों को दर्ज करने पर जोर देना न्याय के व्यापक सिद्धांत को सेवा करना है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।

32.2. कारणों का अभिलेखन न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध अंकुश के रूप में भी कार्य करता है।

32.3. कारण यह आश्वस्त करते हैं कि निर्णय लेने वाले द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों की उपेक्षा करके विवेक का प्रयोग किया गया है।

32.4. न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन की तरह ही कारण वर्चुअली निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं।

32.5. कानून के शासन और संवैधानिक शासन के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रहा न्यायिक रुझान प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित सकारण निर्णयों के पक्ष में है। यह वर्चुअली न्यायिक निर्णय लेने का प्राण है जो इस सिद्धांत को उचित ठहराता है कि तर्क ही न्याय की आत्मा है।

32.6. न्यायिक या अर्ध-न्यायिक राय इन दिनों न्यायाधीशों और उन्हें देने वाले अधिकारियों की तरह अलग हो सकती है। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो तर्क द्वारा प्रदर्शित करना है कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय वितरण प्रणाली में वादकारियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

32.7. कारण पर जोर देना न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए एक आवश्यकता है।

32.8. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति मिसाल के सिद्धांत या क्रमिकता के सिद्धांतों के प्रति वफादार है या नहीं।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



32.9. निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का ढोंग या "रबर-स्टैंप कारण" को वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

32.10. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पारदर्शिता न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की अनिवार्य शर्त है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय लेने वालों को त्रुटियों की संभावना कम करती है बल्कि उन्हें व्यापक जांच के दायरे में भी लाती है। (देखें डेविड शापिरो, 'इन डिफेंस ऑफ ज्यूडिशियल कैंडोर' [(1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731-37])

32.11. सभी कॉमन लॉ क्षेत्राधिकारों में निर्णय भविष्य के लिए मिसाल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण देने की आवश्यकता सार है और वर्चुअली "उचित प्रक्रिया" का हिस्सा है।"

12. मामले के इस पहलू को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि दोनों आदेश, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 - उप जिलाधिकारी, लोनी, जनपद गाज़ियाबाद द्वारा मुकदमा संख्या 6194 / 2022, कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या T202211280306194 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 और साथ ही नए जोड़े गए प्रतिवादी अर्थात् प्रतिवादी संख्या 16 - अपर आयुक्त (प्रशासन-II), मेरठ मंडल, मेरठ द्वारा मुकदमा संख्या 840 / 2025, कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या C202511000000840 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2025 रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

13. प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् उप जिलाधिकारी, लोनी, जनपद गाज़ियाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से नया आदेश पारित करें।

14. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

20 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"